न्यायालय न्यायनिर्यणन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी — श्री जगदीश प्रसाद गौड़

मुकदमा नम्बर : 08/2023 — आर.ए.एस

श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जिला झुन्झुनू।

बनाम

श्री सोमवीर पुत्र श्रवण कुमार, मै0 श्रवण कुमार मिष्ठान भण्डार, वार्ड नम्बर 04, तहसील मलसीसर, झुन्झुनू।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एफ.एस.एस.ए एक्ट 2006 व सपठित धारा नियम 2011

–निर्णय– दिनांक : 31.01.2023

पत्रावली पेश हुई। आवेदक उपस्थित। अनावेदकगण स्वयं उपस्थित। मैने खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत जबाब व बहस पर ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया।

अनावेदक/अभियुक्त संख्या 1 का कथन है कि वार्ड नम्बर 04, मलसीसर झुन्झुनू में मै0 श्रवण कुमार मिष्ठान भण्डार के नाम से मिठाई की दुकान है जहां वह बतौर विक्रेता करता है। अतः मेरे विरूद्ध प्रकरण को ड्रॉप करते हुए मुझे धारा 26 (2) (II) का दोषी नहीं माना जाये।

अनावेदक/अभियुक्त संख्या 2 का कथन है कि उसकी वार्ड नम्बर 04, मलसीसर झुन्झुनू में मै0 श्रवण कुमार मिष्ठान भण्डार के नाम से मिठाई की दुकान (कारखाना) है जहां वह मिठाई बनाकर बेचान करता है। उसकी दुकान (कारखाना) से मावा का सैम्पल सब–स्टैण्डर्ड (Sub-standard) पाया गया है। अनावेदक का कथन है कि वह जो मावा तैयार करता है उसके लिए गावों से दुध मंगवाता है। जिसमें ताजा ब्याही गाय का दुध आने के कारण सैम्पल सब–स्टैण्डर्ड (Sub-standard) आया है। अनावेदक का कथन है कि अब उसने बाहर से दुध खरीदना बन्द कर दिया है। अतः मेरे पर कम से कम जुर्माना लगाया जाये।

हस्तगत प्रकरण प्रकरण में खाद्य विश्लेषक राज जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल.एस./3164/एक्ट/2022/3195 दिनांक 09.11.2022 के अनुसार खाद्य पदार्थ चाय (विष्णु) सब–स्टैण्डर्ड (Sub-standard) पाया गया है। जो एफ.एस.एस.एस.ए की धारा 26 की उपधारा (2) (II) के उल्लंघन में आता है। चूँकि अनावेदक संख्या 1 श्री सोमवीर पुत्र श्री श्रवण कुमार अनावेदक संख्या 2 के यहां बतौर विक्रेता काम करता है अतः उसे धारा 26 (2) (II) का दोषी नहीं माना जा सकता है। अनावेदक संख्या 2 स्वयं अपनी दुकान (कारखाना) में मावा तैयार करवा कर बेचान करता है। अतः प्रकरण में खाद्य पदार्थ मावा के सब–स्टैण्डर्ड (Sub-standard) पाये जाने की स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अनावेदक संख्या 2 श्री श्रवण कुमार पुत्र श्री हनुमाना राम, मै0 श्रवण कुमार मिष्ठान भण्डार, वार्ड नम्बर 4, मलसीसर झुन्झुनू निवासी सूरा का बास, रावतसर कुंजला, चुरू को धारा 26 की उपधारा (2) (II) को दोषी मानकर प्रकरण में अनावेदक को 15,000/– पन्द्रह हजार रूपये अर्थदण्ड/ जुर्माने से दण्डित किया जाता है। उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बजट मद में 15 दिवस में जरिये चालान बैंक में जमा कराकर चालन की एक प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। आदेश की एक प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू को भिजवाये। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 31.01.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.03.10 17:00:28 IST
Reason: SelfAttested